कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक

(इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना), जैसलमेर

क्रमांकः– (IRGY-Urban)/सं.भर्ती/2022/210 दिनांकः– 06/09/2022

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली ''इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना'' (IRGY-Urban) के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु स्वायत शासन विभाग, जयपुर के आदेश कमांक एस्ट/एम/एफ10 ( )/आरएमएस (टी)/डीएलबी/2022/3592–4573 दिनांक 31.05.2022 एवं समय–2 पर जारी दिशा निर्देशो की पालना में जैसलमेर जिले की समस्त नगर निकायों यथा नगरपरिषद, जैसलमेर व नगरपालिका पोकरण हेतु संविदा पदों पर भर्ती हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 157 दिनांक 07.07.2022 द्वारा जारी विज्ञप्ति में वर्णित निम्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

निम्न पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में संविदा पद हेतु निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की गयी अस्थाई वरियता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से विज्ञापित पदों के विरूद्ध श्रेणीवार 3 गुणा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय की वेबसाईट **www.nagarparishadjaisalmer.org** पर ऑनलाईन अपलोड/जारी की जा चुकी है।

उक्त वेबसाईट पर अपलोड/जारी अस्थाई वरियता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्न निर्धारित तिथियों को अपने शैक्षिक/प्रशैक्षिणिक व आवश्यक अन्य समस्त दस्तावेजों की मूल एवं एक–एक सत्यापित प्रति सहित कार्यालय नगरपरिषद, जैसलमेर में प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दस्तावेज सत्यापन हेतु पदवार निर्धारित तिथि/कार्यक्रम निम्मानुसार है :–

क्र.सं.	पद का नाम	दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथी व समय	दस्तावेज सत्यापन स्थल
1	2	3	4
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	दिनांक 08.09.2022 (प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक)	कार्यालय नगरपरिषद् जैसलमेर
2	लेखा सहायक		
3	एम.आई.एस. मैनेजर	दिनांक 08.09.2022 (प्रातः 02:00 बजे से दोपहर 05:00 बजे तक)	
4	शहरी रोजगार सहायक		

नोट :–

(1) दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी अस्थाई वरियता सूची किसी भी अभ्यर्थी के चयन/नियुक्ति/पात्रता का आधार नही होगी।

(2) उक्त निर्धारित तिथियों को दस्तावेज सत्यापन से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

(3) उक्त निर्धारित तिथियों व निर्धारित समय के पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन नहीं किये जावेंगें।

(4) किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु पृथक से सूचना/पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। समाचार पत्र/विभागीय वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

(5) नियमानुसार एवं विभागीय निर्देशानुसार विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अनुसार पात्र पायें गयें अभ्यर्थियों की पात्रता/वरियता सूची पृथक से जारी की जावेगी।

(6) जारी की जा रही अस्थाई वरियता सूची के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY-Urban) जैसलमेर का निर्णय अंतिम होगा।

(7) अस्थाई वरियता सूची के संबंध में किसी अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो दिनांक 08.09.2022 को प्रातः 10.00 बजे से पूर्व आपत्ति से संबंधित प्रमाणित/उपयुक्त दस्तावेज सहित कार्यालय नगर परिषद् जैसलमेर में व्यक्तिशः उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक (IRGY-Urban)
जैसलमेर

क्रमांक :– IRGY-Urban / 2022–23 / दिनांकः–

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय / श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, जिला कलक्टर, जैसलमेर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
4. मुख्य अभियंता (सिविल) / वितीय सलाहकर / परियोजना निदेशक / संयुक्त निदेशक (जन संपर्क) / एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. माननीय सभापति, नगर परिषद, जैसलमेर / माननीय अध्यक्ष, नगर पालिका पोकरण।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पोकरण, जिला जैसलमेर।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना) जैसलमेर।
8. निजी सहायक, आयुक्त, नगर परिषद् एवं सदस्य सचिव (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना) जैसलमेर।
9. सामान्य शाखा / विज्ञापन शाखा, नगर परिषद् , जैसलमेर।
10. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति की सूचना को क्रमशः राज्य स्तरीय संस्करण के दो समाचार पत्रों 1–राजस्थान पत्रिका 2–दैनिक भास्कर में, स्वीकृत डी.पी.आर. / डी.ए.वी.पी. दर पर न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें, जिसमें प्रकाशित विज्ञप्ति की सूचना के समस्त समाचार–पत्रों मय विपत्र (दों प्रतियों में) नियमानुसार भुगतान सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें। साथ ही प्रकाशित विज्ञप्ति की सूचना के समस्त समाचार–पत्रों की सूचना इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. mbj_jsm@yahoo.com पर भिजवाने का श्रम करावें।

आयुक्त
नगरपरिषद जैसलमेर एवं
सदस्य सचिव (IRGY-Urban) जैसलमेर